न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

दावा संख्या – 107 / 2018
1. सुरेश कुमार रिणवा पुत्र भोलाराम रिणवा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 21 मुख्य डाकघर के पास कस्बा फतेहपुर तहसील व जिला सीकर जरिये मुख्तयार कृष्णमुरारी पुत्र नाथूराम जाति नायक निवासी मण्डावा वार्ड न. 6 तहसील व जिला झुंझुनू
—वादी

बनाम

1. नगरपालिका मण्डावा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू
2. ओमप्रकाश पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी क्यामसर तहसील व जिला सीकर
3. हरिराम पुत्र भानाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील जिला झुंझुनू
4. तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू

—प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:–
1. श्री रणजीत सिंह – वादी की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राज्य सरकार की ओर से

दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 28.02.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा मण्डावा में काश्त की भूमि खसरा न. 1174 तादादी 1.38 हैक्टर अवस्थित है व इस जमीन के सटकर के ही खसरा न. 1175 तादादी 0.06 हैक्टर कूप की जमीन है। जिसके खातेदार काश्तकार अन्य लोग है। उक्त जमीन जैर बहस खसरा न. 1174 तादादी 1.38 हैक्टर के खातेदार काश्तकार में वादी का हिस्सा 31 / 207 है व प्रतिवादी न. 2 का हिस्सा 38 / 69 है व प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 31 / 207 है व प्रतिवादी न. 3 का हिस्सा 31 / 207 है। इस हिस्से में हमारा फरीकेन का कोई विवाद नही है व अपने अपने हक व हिस्से पर वादी व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 काबिज है व अपने हिस्से का लगान देते है। उक्त प्रतिवादी न. 1 अपने हिस्से पर काबिज है। परन्तु प्रतिवादी न. 1 वादी के हक व हिस्से पर से वादी को बेदखल करने को आमाद है व प्रतिवादी न. 1 की जमीन आबादी मे परिवर्तित होकर के उक्त जमीन पर लोगों के मकान बने हुये है व उक्त मकानों का पट्टा भी प्रतिवादी न. 1 ने जारी कर रखा है। उक्त वादी के हक व हिस्से की जमीन पर जो कि काश्त की जमीन है व उक्त काश्त की जमीन पर प्रतिवादी न. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है। परन्तु प्रतिवादी न. 1 स्थानीय राजनीति से प्रभावित होकर के वादी की जमीन पर से वादी को बेदखल करने को आमाद है। उक्त वादी की जमीन से सटकर के खसरा न. 1175 तादादी 0.06 हैक्टर कूप की जमीन है व इस जमीन के खातेदारान का अपनी पुरी जमीन पर कब्जा है व वाद का खसरा न. 1175 तादादी 0.06 हैक्टर पर कोई कब्जा नहीं है व खसरा न. 1175 के खातेदार भी वादी का अतिक्रमण अपनी जमीन पर नही मानते है व पटवारी हल्का ने भी खसरा न. 1175 पर वादी का कोई अतिक्रमण नहीं माना है। उक्त प्रतिवादी न. 1 ने दिनाक 20.07.2018 को वादी को धमकी दी है कि या तो तीन दिवस मे तारबन्दी हटा ले वर्ना नगर पालिका मण्डावा उक्त तारबन्दी को हटायेगी। उक्त जमीन जेर बहस खसरा न. 1174 तादादी 1.38 हैक्टर में से 0.76 हैक्टर आबाद मे दर्ज ही गई है जो कि नगरपालिका के नाम से है व आबादी में दर्ज होने से इस जमीन की चौहदी

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

अलग हो गई व उक्त जमीन पर आबादी बसी हुई है व शेष जमीन 0.62 हैक्टर काश्त की जमीन है। उक्त 0.62 हैक्टर में 1/3 हिस्सा वादी का है व 2/3 हिस्सा प्रतिवादी न. 2 व 3 का है। हमारा आपस में कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी न. 2 व 3 सहखातेदार काश्तकार होने से प्रफोरमा डिफेडेन्ड बनाया है जिससे कि दावे में कोई नुक्श ना रहे। उक्त नगर पालिका मण्डावा को कोई अधिकार नहीं है कि वह खातेदारी काश्तकारी की जमीन पर कोई कब्जा करे या खातेदार का कब्जा हटाये यह कृत्य प्रतिवादी न. 1 का कानून के खिलाफ व अधिकारों के खिलाफ है। उक्त वादी के अपने कब्जे शुदा खातेदारी की जमीन पर से बेदखल करने का प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं हे। उक्त जमीन जैर बहस खसरा न. 1174 तादादी 1.38 हैक्टर में से वादी व प्रतिवादी न. 2 व 3 की 0.62 हैक्टर जमीन पर से वादी का कब्जा हटाने का प्रतिवादी न. 1 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है व वादी व प्रतिवादी न. 2 व 3 की जमीन जैर बहस नगर पालिका मण्डावा में समाहित भी नहीं है। उक्त वादी ने अगर खसरा न. 1175 की जमीन पर अतिक्रमण भी कर लिया हो तो कानूंन के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत ही कार्यवाही हो सकती है। नगर पालिका किसी दुसरे खातेदार की जमीन के बाबत कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। जमीन जैर बहस नगर पालिका मण्डावा में निहित भी नही है। उक्त दावा हाजा के लिये वाद कारण दिनांक 20.07.2018 को नगर पालिका मण्डावा प्रतिवादी न. 1 वादी को बेदखल करने की धमकी देने के रोज वाद कारण उत्पन्न हुआ। उक्त जीमन जैर बहस खसरा न. 1174 के खाते का विभाजन किया जाकर के नगरपालिका मण्डावा के नाम से अलग व वादी व प्रतिवादीगण न. 2 व 3 के नाम से अलग विभाजन किया जाकर के अलग–अलग खातेदारी विभाजन नियमानुसार करके खाता विभाजन किया जावे व लगान भी तय किया जावें। उक्त दावे को सुनने का श्रवणाधिकार अदालत हाजा को है। उक्त दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 92ए व 188 के तहत पेश है जिसे सुनने का श्रवणाधिकार अदालत हाजा को है। उक्त प्रतिवादी न. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि जमीन जैर बहस खसरा न. 1174 वाके कस्बा मण्डावा से अपने हक व हिस्से की जमीन से बेदखल ना करें व ना ऐसा काम किसी अन्य से करवायें। उक्त जमीन जैर बहस खसरा न. 1174 वाके कस्बा मण्डावा का विधिवत विभाजन बाबत प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर के विधिवत विभाजन कर अन्तिम डिक्री जारी की जावें। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी न. 1 ने जवाब दावा पेश किया है कि वाद न. 5 व 6 के मध्य उपतहसील के पास ऐतिहासिक धरोहर कुए की गुण को भूमाफियों द्वारा कब्जा करने हेतु बताया गया है। खसरा न. 1175 व 1251/2043 में गैर मुमकिन कुआ है। जबकि कुए के दक्षिण दिशा में मौके पर की गई तारबन्दी खसरा न. 1174 की खातेदारी की भूमि है। जिसमें कुए की गुण शामिल है। प्रतिवादी न. 4 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट अपने पत्र कमांक राजस्व/2019/225 दिनांक 28.01.2019 के द्वारा पेश की गई। जिसके अनुसार वर्णित भूमि कस्बा मण्डावा के वार्ड न. 5 व 6 में पुरानी तहसील भवन के पास स्थित कुआ जिसके खसरा न. 1175 रकबा 0.06 हैक्टर है। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी गोपाल, बसन्तीलाल, बुन्नीलाल पुत्र वासुदेव महाजन सादे खातेदार बकाश्तकार मदनलाल, ईश्वरीप्रसाद, माधोप्रसाद पिता औकारमल कौम महाजन के नाम दर्ज है। उक्त कुए से लगती हुई भूमि जिसके खसरा न. 1174 रकबा 1.38 हैक्टर है। उक्त भूमि की खातेदारी हरिराम पुत्र भानाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील झुंझुनू औमप्रकाश, रामनाथ जाति जाट निवासी कायमसर जिला सीकर, सुरेश कुमार, भोलाराम जाति ब्राहमण निवासी फतेहपुर जिला सीकर के खातेदार हिस्सा 0.62 हैक्टर नगर पालिका मण्डावा हिस्सा 0.76 हैक्टर नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमे आबादी बसी हुई है व लोग मकान बनाकर आबाद है। वादी द्वारा वाद में वर्णित विवादित भूमि पर कृष्णमुरारी पुत्र नाथूराम जाति नायक निवासी मण्डावा ने तारबन्दी व टिन सैट बना रखा है। कुआ निजी खातेदारी मे है। राजस्व रिकार्ड मे व नक्शे मे दर्ज नही होना अपनी जांच रिपोर्ट मे अंकित किया है। प्रतिवादी न. 2 व 3

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

का विवादित भूमि डिक्री की जाने पर कोई प्रतिकुल असर नही होना प्रस्तुत रिकार्ड से जाहिर है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी न. 2 व 3 की जवाबदेही पेश करना उचित नही समझी जाकर पत्रावली में साक्ष्य शामिल किया जाकर प्रकरण में बहस वकील पक्षकारान सुनी जाकर आदेश मे ली जाकर अवलोकन किया गया। वाद पत्र में वर्णित तथ्य व मौका रिपोर्ट तहसीलदार व जवाब दावा नगरपालिका मण्डावा व साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ–पत्र पी.डब्लू.–1 में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार भूमि हाल खसरा न. 1174 रकबा 1.38 हैक्टर जिसकी खातेदारी हरिराम पुत्र भानाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास जिला झुंझुनू प्रतिवादी न. 3 औमप्रकाश पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी कायमसर जिला सीकर, प्रतिवादी न. 2 व सुरेश कुमार पुत्र भोलाराम जाति ब्राहामण निवासी फतेहपुर जिला सीकर खातेदार, नगरपालिका मण्डावा हिस्सा 0.76 हैक्टर प्रतिवादी न. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी न. 1 द्वारा खसरा न. 1175 व खसरा न. 1251/2043 में गैर मुमकिन कुआ है। जबकि कुए के दक्षिण दिशा में मौके पर की गई तारबन्दी खसरा न. 1174 खातेदारी की भूमि है। जिसमें ऐतिहासिक धरोहर कुए की गुण को भूमाफिया कब्जे से मुक्त कराने का कथन है। उपर्युक्त वाद में वाद के कथननुसार व मौका रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार विवादित गैर मुमकिन कुआ की भूमि खसरा न. 1174 तादादी 1.38 हैक्टर में न होकर खसरा न. 1175 व खसरा न. 1251/2043 की खातेदारी में दर्ज होना जाहिर है। खसरा न. 1174 में कृष्णमुरारी पुत्र नाथूराम जाति नायक निवासी मण्डावा के द्वारा तारबन्दी व टेन सैट बना रखा है। इस प्रकार वाद वादी पूर्णतया सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा–

आदेशः–

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कस्बा मण्डावा में स्थित कृषि भूमि खसरा न. 1174 में वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि हक हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। शेष रकबा जमाबन्दी बदस्तूर। व प्रतिवादी न. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि जमीन जैर बहस खसरा न. 1174 वादी के हक हिस्से की भूमि बाबत किसी तरह की दखलदांजी न करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एंव बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/19

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

उप खण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

उनवान

सुरेश कुमार बनाम नगर पालिका मण्डावा वगैरह

दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा संख्या 107 / 2018 दिनांक 28.02.2019

वादी की ओर से वकील श्री रणजीत सिंह उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 28.02.2019 को श्रीमती अलका बिश्नोई, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि कस्बा मण्डावा में स्थित कृषि भूमि खसरा न. **1174** में वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि हक हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। शेष रकबा जमाबन्दी बदस्तूर। व प्रतिवादी न. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि जमीन जैर बहस खसरा न. **1174** वादी के हक हिस्से की भूमि बाबत किसी तरह की दखलदाजी न करें।

यह डिक्री आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

(अलका बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

वादी के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	1	स्टाम्प वकालतनामा	0
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबुत		मेहनतनामा वकील पर	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिशनर	
फीस कमिशनर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
कुल	47	कुल	0

28/2/19

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राज.)

(अलका बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू